AEC Australian Electoral Commission

Hindi / हिंदी

जनमतसंग्रह

एक फ़ेडरल जनमतसंग्रह में संविधान में किसी प्रस्तावित परिवर्तन से संबंधित एक प्रश्न पर पूर देश का वोट लिया जाता है। संविधान वह मूल दस्तावेज़ है जिसके अनुसार हमारे देश का शासन चलता है। 1901 से अब तक 44 जनमतसंग्रह हो चुके हैं। अभी बहुत समय से कोई जनमतसंग्रह नहीं हुआ है - पिछला जनमतसंग्रह 20 से अधिक वर्ष पहले 1999 में हुआ था।

किस-किस को वोट देना होगा

जनमतसंग्रह में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को वोट देना होगा।आपका नामांकन होना आवश्यक है और आपको अपने नामांकन की जानकारी को ताज़ा करना होगा यदि:

- आपके नाम या पते में हाल ही में परिवर्तन हुआ है
- आप 18 वर्ष के हो गए हैं, या
- ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बन गए हैं।

aec.gov.au पर जाएँ या ए ई सी के किसी कार्यालय से एक नामांकन पत्र लें।

वोट कब और कहाँ देना होगा

वोट देने का दिन एक शनिवार होगा और पूर देश में मतदान केंद्र प्रात: 8 बजे से सायं 6 बजे तक खुले होंगे।

मतदान के दिन से पहले के कुछ सप्ताहों के दौरान मोबाइल मतदान टीमें भी दूर-दराज़ के क्षेत्रों में चक्कर लगाएँगी।

यदि आप उस दिन मतदान नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि आप उससे पहले, व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा अपना वोट दे सकें।

अधिक जानकारी जनमतसंग्रह की तिथि के नज़दीक आने पर **aec.gov.au** पर उपलब्ध होगी।

वोट कैसे दें

एक जनमतसंग्रह में वोट देना एक चुनाव में वोट देने से भिन्न होता है। आपको केवल एक मतपत्र भरना होता है।

मतपत्र में संविधान में प्रस्तावित एक परिवर्तन के बारे में एक प्रश्न होगा। वोट देने के लिए, यदि आप उस परिवर्तन से सहमत हैं तो 'yes' लिखें, या यदि आप असहमत हैं तो 'no' लिखें।

मतदान केंद्र में आप किसी चुनाव अधिकारी, मित्र या घर के सदस्य से सहायता ले सकते हैं कि आप अपना औपचारिक वोट कैसे दें।

यदि आपसे कोई ग़लती हो जाए तो चिंता न करें।
आप एक और मतपत्र माँग सकते हैं और उसे भर सकते हैं।

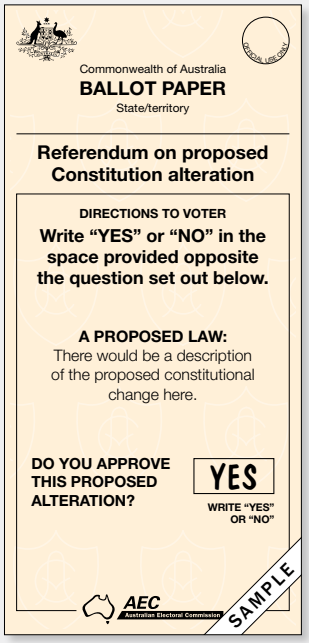
Commonwealth of Australia
BALLOT PAPER
State/territory

Referendum on proposed Constitution alteration

DIRECTIONS TO VOTER
Write "YES" or "NO" in the space provided opposite the question set out below.

A PROPOSED LAW:
There would be a description of the proposed constitutional change here.

DO YOU APPROVE THIS PROPOSED ALTERATION? YES
WRITE "YES" OR "NO"

AEC Australian Electoral Commission
SAMPLE

मतपत्र का नमूना

यदि आप प्रस्तावित परिवर्तन से सहमत हैं तो **YES** लिखें

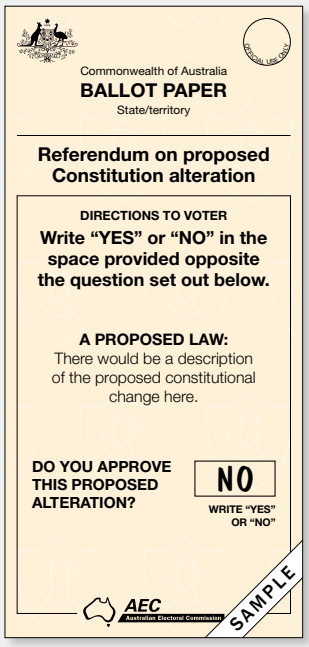
Commonwealth of Australia
BALLOT PAPER
State/territory

Referendum on proposed Constitution alteration

DIRECTIONS TO VOTER
Write "YES" or "NO" in the space provided opposite the question set out below.

A PROPOSED LAW:
There would be a description of the proposed constitutional change here.

DO YOU APPROVE THIS PROPOSED ALTERATION? NO
WRITE "YES" OR "NO"

AEC Australian Electoral Commission
SAMPLE

मतपत्र का नमूना

यदि आप प्रस्तावित परिवर्तन से सहमत नहीं हैं तो **NO** लिखें

या

आपको अपना उत्तर अंग्रेज़ी में लिखना होगा

परिणाम कैसे निश्चित किया जाता है

संविधान में प्रस्तावित परिवर्तन को एक 'डबल मेजोरिटी' (double majority) द्वारा मंज़ूरी मिलनी चाहिए - यानि:

- सभी राज्यों और टेरिटरियों में दिए गए औपचारिक वोटों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर मेजोरिटी (50% से अधिक) वोट, और
- आधे से अधिक (छह में से कम से कम चार) राज्यों में दिए गए औपचारिक वोटों में मेजोरिटी (50% से अधिक) वोट।

कोई जनमतसंग्रह तब पारित होता है जब

- राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों और टेरिटरियों के मतदाता मेजोरिटी (आधे से अधिक) **YES** वोट देते हैं।
- छह में से कम से कम चार राज्यों के मतदाता मेजोरिटी (आधे से अधिक) **YES** वोट देते हैं।

कोई जनमतसंग्रह पारित नहीं होता जब

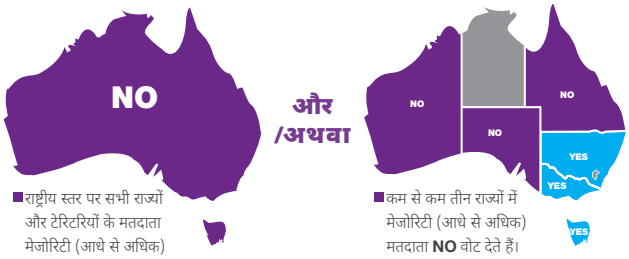

- राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों और टेरिटरियों के मतदाता मेजोरिटी (आधे से अधिक) **NO** वोट देते हैं।
- कम से कम तीन राज्यों में मेजोरिटी (आधे से अधिक) मतदाता **NO** वोट देते हैं।

परिणाम का कार्यान्वन अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को मतदाताओं के निर्णय के अनुसार कारवाई करनी होगी।

जनमतसंग्रहों संबंधी धारणाओं का खंडन

धारणा: किसी भी विषय या क़ानून पर जनमतसंग्रह करवाना संभव है।
तथ्य: वे केवल संविधान में प्रस्तावित परिवर्तन को लेकर किए जाते हैं।

धारणा: 2017 का विवाह संबंधी क़ानून का सर्वेक्षण एक जनमतसंग्रह था।
तथ्य: वह डाक से किया गया एक सर्वेक्षण था, और उसमें भाग लेना ऐच्छिक था।

धारणा: किसी जनमतसंग्रह में वोट देना अनिवार्य नहीं होता।
तथ्य: यदि आप एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और आपकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है तो आपको वोट देना होगा।

धारणा: मुझे इसके लिए अलग से नामांकन करवाना होगा।
तथ्य: यदि चुनावों के लिए आपका नामांकन हो चुका है तो जनमतसंग्रह के लिए भी आपका नामांकन हो चुका है। केवल यह सुनिश्चित कर कि आपकी जानकारी अपटुडेट है।

धारणा: मुझे डाक द्वारा ही वोट देना होगा।
तथ्य: आप उस दिन वोट दे सकते हैं या समय नज़दीक आने पर aec.gov.au पर जनमतसंग्रह से पहले व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा वोट देने की अपनी पात्रता जाँच सकते हैं।

धारणा: जनमतसंग्रह को पारित होने के लिए 70% या इससे अधिक 'yes' वोट चाहिए होते हैं।
तथ्य: उसे सभी राज्यों और टेरिटरियों के 50% से अधिक मतदाताओं और आधे से अधिक (छह में से कम से कम चार) राज्यों में 50% से अधिक मतदाताओं की स्वीकृति मिलनी चाहिए। इसे 'डबल मेजोरिटी' कहते हैं।

ए ई सी (ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग) की भूमिका

ए ई सी एक स्वाधीन और निष्पक्ष कानूनी प्राधिकरण है।

जनमतसंग्रह में इसका दायित्व नामांकन, वोट देने और जानकारी देने की सेवाएँ प्रदान करना है।

हालाँकि ए ई सी ऑस्ट्रेलियाई घरों में एक yes/no पैम्फलेट बाँटेगा, उसमें दी गई जानकारी संसद द्वारा लिखी जाएगी। पैम्फलेट को बाँटने के अलावा ए ई सी संविधान में प्रस्तावित परिवर्तन का समर्थन या विरोध करने की मुहिमों में भाग नही लेता।

ज़रा रुकें और स्रोत को जानने की कोशिश कर

जनमतसंग्रह में आपका मत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्त्वपूर्ण फैसला करने में सहायता करगा।

जनमतसंग्रह के दौरान आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है जो जानबूझ कर भ्रमित करने के लिए है।

आप जो भी देखें, सुनें या पढ़ें, जरा रुक कर जाँच कर कि जानकारी कहाँ से आई है। इस

जनमतसंग्रह के दौरान ग़लत जानकारी द्वारा भ्रम में न पड़ें।

जानकारी का स्रोत जाँचने के तरीके जानने के लिए **aec.gov.au** पर जाएँ।

AEC23/18004

इलेक्टोरल कमिश्नर, केनबरा द्वारा अधिकृत
Authorised by the Electoral Commissioner, Canberra